केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/237 दिनांक: 06.09.2018

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00207
CICOM/R/2018/00721

अपीलकर्ता : श्री विजय पाल सिंह,
म. नं. 1449/18ए, दुर्गा पुरी,
लोनी रोड, शाहदरा, दिल्ली – 110093.

निर्णय की तारीख: 06.09.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	12.07.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	23.07.2018, 26.07.2018, 03.08.2018, 09.08.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा, श्री कृष्ण अवतार तलवार, श्री जीवन चंद्र, श्री सुशील कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	23.08.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	418/04.09.2018 (2021/30.08.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 12.07.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दस बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उन्हें आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ का पत्र सं. CICOM/R/2018/00721 दिनांक 23.07.2018 के अतिरिक्त कोई सूचना प्राप्त नहीं करवाई गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2018/00721 दिनांक 23.07.2018 जारी किया गया जिसके माध्यम से आवेदन के बिंदु सं. 1, 2 एवं 10 से संबंधित सूचना हेतु केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, प्रशासन अनुभाग, बिंदु सं. 3 से संबंधित सूचना हेतु केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, एम.आर. अनुभाग एवं सी.आर.-2, बिंदु सं. 4 एवं 5 से संबंधित सूचना हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अग्रसारित किए जाने की सूचना अपीलकर्ता को दी गई तथा उसी पत्र के माध्यम से बिंदु सं. 6, 7, 8 एवं 9 से संबंधित सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध करवाई गई है ।

3. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ के पत्र सं. CICOM/R/2018/00721 दिनांक 23.07.2018 के अनुपालन में बिंदु सं. 1, 2 एवं 10 से संबंधित सूचना श्री सुशील कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. 3/1/2018/Admin./CIC/ST/00721/3 दिनांक 09.08.2018 के माध्यम से, बिंदु सं. 3 से संबंधित सूचना श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2018/00721/CR-II दिनांक 26.07.2018 एवं श्री जीवन चंद्र द्वारा पत्र सं. 1/1/2018-MR-CIC दिनांक 03.08.2018 के माध्यम से अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है । **आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों श्री ए. के. शर्मा, श्री सुशील कुमार, श्री कृष्ण अवतार तलवार एवं श्री जीवन चंद्र द्वारा अपीलकर्ता को उपलब्ध करवाई गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।** अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उन्हें सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं इसलिए इस आदेश के साथ केन्द्रीय सूचना आयोग के जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु पुनः संलग्न है । साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में ही प्रथम अपील दाखिल किया जाना अपेक्षित है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

--2/-

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक - श्री ए. के. शर्मा, श्री सुशील कुमार, श्री कृष्ण अवतार तलवार एवं श्री जीवन चंद्र द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C. I. C./के॰ सू॰ आ॰
RECEIVED
07 SEP 2018
D. No............
Initials............